भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2424

सोमवार, 18 दिसम्बर, 2023 / 27 अग्रहायण, 1945 (शक)

ई-श्रम पोर्टल पर कार्य/सेवाएं

2424. श्रीमती शारदा अनिल पटेल:
श्री मितेष पटेल (बकाभाई):
क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अर्थव्यवस्था में गिग कामगारों के लिए कवरेज और सहायता में सुधार लाने के लिए ई-श्रम पोर्टल में विशिष्ट कार्य या सेवाओं को जोड़ा गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इस पोर्टल पर पंजीकृत और लाभान्वित मान्यताप्राप्त गिग कामगारों की वर्ष-वार और राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) ई-श्रम पोर्टल की नई विशेषताओं से इन गिग कामगारों को सामाजिक सुरक्षा और अन्य कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंचने में किस प्रकार लाभ होगा;

(घ) क्या सरकार ने असंगठित कामगारों को शिक्षित करने के लिए कोई जागरूकता अभियान अथवा आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया है और ई-श्रम पोर्टल पर क्या लाभ उपलब्ध हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ङ): सरकार ने गिग कामगारों और प्लेटफॉर्म कामगारों सहित असंगठित कामगारों के पंजीकरण और उनका एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करने के लिए दिनांक 26.08.2021 को ई-श्रम पोर्टल आरम्भ किया है। इसमें कोई व्यक्ति स्व-घोषणा के आधार पर पोर्टल पर अपना पंजीकरण कर सकता है, जिसका विस्तार लगभग 400 व्यवसायों तक है। प्लेटफॉर्म कामगारों के कवरेज में सुधार के लिए सितंबर, 2022 में ई-श्रम पोर्टल पर प्लेटफॉर्म कामगारों के लिए एक नया मॉड्यूल प्रारम्भ किया गया था और तब से 51,000 से अधिक प्लेटफॉर्म कामगारों ने इस मॉड्यूल के माध्यम से प्लेटफॉर्म कामगारों के रूप में ई-श्रम पोर्टल पर अपनी प्रोफ़ाइल को पंजीकृत/अद्यतन किया है। ई-श्रम पोर्टल पर गिग कामगारों का डेटा अलग से कैप्चर नहीं किया जाता है। ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित कामगारों की वर्ष-वार और राज्य-वार संख्या अनुबंध में संलग्न है।

ई-श्रम पोर्टल पर विकसित नई विशेषताएं और ई-श्रम पोर्टल के माध्यम से गिग और प्लेटफॉर्म कामगारों सहित असंगठित कामगारों को दिए जाने वाले लाभ निम्नानुसार हैं:

(i) प्रवासी कामगारों के परिवार के ब्यौरे को कैप्चर करने के लिए ई-श्रम में प्रावधान जोड़ा गया है।

(ii) ई-श्रम में सन्निर्माण कामगारों के आंकड़े को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा करने का प्रावधान जोड़ा गया है, ताकि संबंधित भवन और अन्य सन्निर्माण कामगार (बीओसीडब्ल्यू) बोर्डों में उनको पंजीकरण की सुविधा मिल सके।

(iii) ई-श्रम को राष्ट्रीय कैरियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है। गिग एवं प्लेटफॉर्म कामगार सहित कोई असंगठित कामगार अपने सार्वभौम खाता संख्या (यूएएन) का उपयोग करके एनसीएस पर पंजीकरण कर सकता/सकती है और उपयुक्त नौकरी के अवसरों की तलाश कर सकता/सकती है। एनसीएस पर

जारी..2/-

निर्बाध रूप से पंजीकरण करने के लिए ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करने वाले को एक विकल्प/लिंक भी प्रदान किया गया है।

(iv) ई-श्रम को प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन (पीएम-एसवाईएम) के साथ भी एकीकृत किया गया है। पीएम-एसवाईएम असंगठित क्षेत्र के उन कामगारों के लिए एक पेंशन योजना है जिनकी आयु 18-40 वर्ष के बीच है। सार्वभौम खाता संख्या (ई-श्रम) का उपयोग करके, कोई भी असंगठित कामगार जिसमें प्लेटफॉर्म कामगार भी शामिल है, आसानी से मानधन पोर्टल पर पंजीकरण कर सकता है।

(v) प्लेटफॉर्म कामगार सहित असंगठित कामगार को कौशल वृद्धि और शिक्षुता के अवसर प्रदान करने के लिए, ई-श्रम को कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है।

(vi) ई-श्रम को मायस्कीम पोर्टल के साथ भी एकीकृत किया गया है। मायस्कीम एक राष्ट्रीय मंच है जिसका उद्देश्य सरकारी योजनाओं को एक स्थान पर खोजने और पाने की सुविधा देना है। यह नागरिक की पात्रता के आधार पर योजना संबंधी जानकारी खोजने के लिए एक अभिनव, प्रौद्योगिकी-आधारित समाधान प्रदान करता है। यह मंच नागरिकों को उनकी पात्रता के अनुसार उनके लिए सही सरकारी योजनाओं को खोजने में सहायता करता है। यह विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए आवेदन करने के तरीके के बारे में भी मार्गदर्शन करता है।

इसके अलावा, इस मंत्रालय ने जागरूकता बढ़ाने और ई-श्रम पोर्टल पर असंगठित कामगारों के पंजीकरण में तीव्रता लाने के लिए कई कदम उठाए हैं। सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) के समन्वय से मंत्रालय द्वारा समय-समय पर कई पंजीकरण शिविर और अभियान आयोजित किए जा रहे हैं। ई-श्रम पर पंजीकरण के लिए कामगारों के बीच जागरूकता लाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी उपयोग किया जा रहा है। असंगठित कामगारों के असिस्टेड मोड पंजीकरण की सुविधा के लिए राज्य सेवा केंद्रों (एसएसके) और सामान्य सेवा केंद्रों की सेवाओं को ऑनबोर्ड किया गया था। कामगारों के बीच पहुंच बढ़ाने और उनके मोबाइल की सुविधा के अनुसार पंजीकरण/अपडेट सुविधा प्रदान करने के लिए ई-श्रम को यूनिफाइड मोबाइल एप्लिकेशन फॉर न्यू-एज गवर्नेंस (उमंग ऐप) पर भी शामिल किया गया है।

* ******

अनुबंध

"ई-श्रम पोर्टल पर कार्य/सेवाएं" के संबंध में श्रीमती शारदा अनिल पटेल तथा श्री मितेष पटेल (बकाभाई) द्वारा दिनांक 18.12.2023 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2424 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

ई-श्रम पोर्टल पर प्लेटफॉर्म कामगारों के नए मॉड्यूल पर प्लेटफॉर्म कामगारों का वर्षवार और राज्यवार पंजीकरण (दिनांक 12 दिसंबर 2023 तक)

क्र.सं.	राज्य	दिनांक 26 अगस्त 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक	दिनांक 01 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक	दिनांक 01 जनवरी 2023 से 12 दिसंबर 2023 तक	कुल पंजीकरण
1	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	-	1	10	11
2	आंध्र प्रदेश	-	114	288	402
3	अरुणाचल प्रदेश	-	10	15	25
4	असम	-	7,255	2,282	9,537
5	बिहार	-	301	1,014	1,315
6	चंडीगढ़	-	12	18	30
7	छत्तीसगढ़	-	44	190	234
8	दिल्ली	-	179	642	821
9	गोवा	-	3	17	20
10	गुजरात	-	209	1,758	1,967
11	हरियाणा	-	71	332	403
12	हिमाचल प्रदेश	-	20	61	81
13	जम्मू और कश्मीर	-	47	95	142
14	झारखंड	-	100	430	530
15	कर्नाटक	-	233	931	1,164
16	केरल	-	31	114	145
17	लद्दाख	-	4	3	7
18	मध्य प्रदेश	-	220	1,148	1,368
19	महाराष्ट्र	-	626	2,131	2,757
20	मणिपुर	-	6	14	20
21	मेघालय	-	20	20	40
22	मिजोरम	-	3	26	29
23	नागालैंड	-	1	5	6
24	ओडिशा	-	143	245	388
25	पुदुचेरी	-	7	15	22
26	पंजाब	-	49	203	252
27	राजस्थान	-	224	1,264	1,488
28	सिक्किम	-	5	12	17
29	तमिलनाडु	-	124	464	588
30	तेलंगाना	-	190	1,053	1,243
31	दादरा और नागर हवेली व दमन और दीव	-	4	6	10
32	त्रिपुरा	-	17	52	69
33	उत्तर प्रदेश	-	497	1,656	2,153
34	उत्तराखंड	-	32	112	144
35	पश्चिम बंगाल	-	13,175	10,422	23,597
	कुल	**-**	**23,977**	**27,048**	**51,025**

*****